सं0-2931/62-2-2016-14एम0आई0/97टी0सी0-।।

प्रेषक,

राजीव रौतेला,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक :16 दिसम्बर,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 जिला योजना एवं डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष खण्डों/वृत्तों से प्राप्त मांग के अनुरूप मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु आई0 एस0 कोड-12818/2010 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत 150एम0एम0, 175एम0 एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एस0 पाइप), 150एम0एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एम0 पाइप) तथा 150एम0 एम0 यू0पी0वी0सी0 रिब्ड मीडियम वेल स्क्रिन पाइप (आर0एम0एस0 पाइप) के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-06/ल0सिं0/भ0आ0/म0ग0न0-ग0बो0-पी0वी0सी0/2016-17, दिनांक 12.11.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रय समिति की बैठक दिनांक 11.11.2016 में लिए गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित विवरण/तालिका-ए एवं बी के अनुसार पाइप क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

तालिका-ए

S. No.	Particular of Pipe	Name of the Firm having minimum rate	Required Qty as per available budget (Meter)	Basic Rate Ex works (Rs./m)	Average freight Anywhere in U.P. upto Consignee Store (Rs./m)	F.O.R. destination Rates excluding Excise duty & VAT (Rs./m) (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1-	150 mm UPVC CS Pipe	M/S VISHAL PIPES LTD.	33,822	445.33	21.00	466.33
2-	150 mm UPVC RMS Pipe	M/S APOLLO PIPES	53,757	689.10	22.00	711.10
3-	150 mm UPVC RMS Pipe	M/S RUNGTA IRRIGATIO N LTD.	53,754	689.10	22.00	711.10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

S. No.	Particular of Pipe	Name of the Firm having minimum rate	Required Qty as per available budget (Meter)	Basic Rate Ex works (Rs./m)	Average freight Anywhere in U.P. upto Consignee Store (Rs./m)	F.O.R. destination Rates excluding Excise duty & VAT (Rs./m) (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
4-	175 mm UPVC CS Pipe	M/s Swastic Tubes	1,55,040	638.22	30.00	668.22
5-	200 mm UPVC CS Pipe	M/s Vishal Pipes Ltd.	25,821	789.33	40.00	829.33
6-	150 mm UPVC CM Pipe	M/s Ashish Pipes	4659	583.11	21.00	604.11
7-	200 mm UPVC CM Pipe	M/s Ashish Pipes	24,522	1020.44	40.00	1060.44

नोट:- उपरोक्त तालिका के कालम-7 में दर्शायी गयी दरों पर Excise Duty & VAT etc. तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

<u>तालिका-बी</u>

S. No.	Particular of Pipe	Name of the Firm having minimum rate	Required Qty as per available budget (Meter)	Basic Rate Ex works (Rs./m)	Average freight Anywhere in U.P. upto Consignee Store (Rs./m)	F.O.R. destination Rates excluding Excise duty & VAT (Rs./m) (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1-	150 mm UPVC CS Pipe	M/s Vishal Pipes Ltd.	3009	445.33	21.00	466.33
2-	150 mm UPVC RMS Pipe	M/s Apollo Pipes	5397	689.10	22.00	711.10
3-	150 mm UPVC RMS Pipe	M/s Rungta Irrigation Ltd.	5397	689.10	22.00	711.10
4-	175 mm UPVC CS Pipe	M/s Swastic Tubes	9012	638.22	30.00	668.22
5-	200 mm UPVC CS Pipe	M/s Vishal Pipes Ltd.	1140	789.33	40.00	829.33
6-	150 mm UPVC CM Pipe	M/s Ashish Pipes	2424	583.11	21.00	604.11

नोट:- उपरोक्त तालिका के कालम-7 में दर्शायी गयी दरों पर Excise Duty & VAT etc. तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 तथा उघोग अनुभाग-5 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस0पी0)/86, दिनांक 10-3-2003 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुति दे दी गयी है, वित्तीय वर्ष 2016-17 जिला योजना एवं डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष खण्डों/वृत्तों से प्राप्त मांग के अनुरूप मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु आई0 एस0 कोड-12818/2010 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत 150एम0एम0, 175एम0 एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एस0 पाइप), 150एम0एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एम0 पाइप) तथा 150एम0 एम0 यू0पी0वी0सी0 रिब्ड मीडियम वेल स्क्रिन पाइप (आर0एम0एस0 पाइप) के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विवरण/तालिका-ए एवं बी में वर्णित विवरणानुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(1) उक्त सामग्री का क्रय धन उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाय।

(2) उपर्युक्त सभी पाइप का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त पाइप का भुगतान जिला योजना के अन्तर्गत मध्यम गहरे, गहरे बोरिंग, डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूपों (राज्य योजना) के निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(4) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगें तथा मात्रा का निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगें।

(5) उघोग निदेशालय के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत पाईपों का क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित पाईप उघोग निदेशालय, कानपुर द्वारा निर्णित किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(6) टेण्डर डाकूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्सियल हैण्डबुक वैलुम-5 भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत क्रय समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय वांछित पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

(7) उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: एवं कढाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा।

भवदीया,
(राजीव रौतेला)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-2931(1)/62-2-2016,तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, उघोग विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3- सचिव, लघु उघोग अनुभाग'-7, उ0प्र0 शासन।

4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।